

प्रेषक

विनीत प्रकाश
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग:

लखनऊ दिनांक: 16 मार्च, 2017

विषय: सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत स्थापित हो रही परियोजनाओं के पारेषण लाइन एवं सब स्टेशन के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-8281/नेडा-एसई.पीवी.215एमडब्लू.बिड/2015-16 दिनांक 06.3.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-70 के आयोजनागत पक्ष में सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत मेसर्स लोहिया डेवलपर्स इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा ग्राम सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर में स्थापित की जा रही 5 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सौर पावर प्लांट से विद्युत निकासी हेतु कार्यदायी संस्था दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा प्रेषित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन के सापेक्ष धनराशि रू0 2,07,14,093.00 की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1,03,57,046.00 (रू0 एक करोड़ तीन लाख सत्तावन हजार छियालिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या. 2/2017/1822/45.वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2016 दिनांक 02 जनवरी 2017 द्वारा निर्गत की गयी थी । तत्क्रम में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि 1,03,57,047.00 (रू0 एक करोड़ तीन लाख सत्तावन हजार सैतालिस मात्र) की स्वीकृति तथा व्यय करने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

1. स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रश्नगत योजना हेतु दक्षिणान्चयल विधुत वितरण निगम कार्यदायी संस्था होगी । प्रायोजना का गठन यूपीपीटीसीएल के वर्ष 2016-17 के शिड्यूल आफ रेट्स के आधार पर तैयार किया गया है तथा इसी के आधार पर लागत का आंकलन किया गया है।
3. प्रायोजना के निर्माण के समय यूपीनेडा द्वारा आंगणन में उल्लिखित कार्य मदों की लागत का भुगतान वास्तविकता के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य. योजनान्तर्गत / स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्ययोजना में सम्मिलित है।
6. प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ यूपीनेडा का होगा।
7. कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/ बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।
8. प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाईन / ड्राईंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति / द्विरावृत्ति न हो। इसके लिये कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी करायी जाये।
9. यूपीनेडा द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा यूपीनेडा द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
11. अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई 2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

12. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

13. आगणन में अंकित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था तथा यूपीनेडा का होगा।

14. उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: -1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय.व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन आयोजनागत लेखा शीर्षक: 4810-नये और नवीनीकृत ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय-102-सौर ऊर्जा-04-सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या.1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विनीत प्रकाश

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन
- (4) राज्य योजना आयोग.1, उ0प्र0 शासन।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

विनीत प्रकाश

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।